

प्रेषक,

राम सिंह  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य विधि आलेख अधिकारी,  
विधायी प्रकोष्ठ,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग,

देहरादून: दिनांक: 07 अप्रैल, 2011

विषय-  
महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए विधायी प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत धनराशि में से निम्नानुसार रू0 28,55,000 (रू0 अट्ठाइस लाख पचपन हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र०सं	योजना/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	01 वेतन	
2	03 महगाई भत्ता	1400
3	04 यात्रा व्यय	840
4	06 अन्य भत्ते	3
5	07 मानदेय	154
6	08 कार्यालय व्यय	3
7	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25
8	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5
9	13 टेलीफोन पर व्यय	37
10	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10
11	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	75
12	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	225
13	22 आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	5
14	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	3
15	42 अन्य व्यय	25
16	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	13
17	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	19
	योग:-	2855

(रू0 अट्ठाइस लाख पचपन हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देते हैं कि जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, तो ऐसे संबंधित अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
5. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ, के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।
6. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 209 /XXVII (1)/2011 दिनांक 31-03-2011 के निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव,

संख्या 135 /XXXVI(3) /2011 /24 (1) /2010 दिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्येक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 3- केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, सचिवालय परिसर।
- 4- वित्त अनुभाग-5।
- 5- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 6- वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से  
(राम सिंह) 5-4-2011  
प्रमुख सचिव।